न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

गुलाब सिंह वगैरह बनाम सरकार

प्रकरण सं. :– 03/24

अन्तर्गत धारा :– 136 एल.आर. एक्ट

2024/67

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
27/2/24	प्रार्थी सतीश कुमार पुत्र श्री सहीराम जाति छिम्पा निवासी संगरिया द्वारा दिनांक 03.01.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि चक 2 एम.एस.आर. के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में खाता संख्या 75/58 में गुलाब सिंह हिस्सा 421/6072, महावीर प्रसाद हिस्सा 7/24, विजय सिंह हिस्सा 211/3036, सतीश कुमार 211/3036, सुदेश रानी हिस्सा 1/2 कुल रकबा 6.072 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। गुलाब सिंह पुत्र श्री किशनसिंह द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि का बेचार प्रार्थी सतीश कुमार, महावीर सतीश कुमार, महावीर प्रसाद को वर्ष 1983 में बेचान कर दिया गया था उक्त कृषि भूमि का इंतकाल भी प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया था । पूर्व की जमांबदी में गुलाब सिंह, विजय सिंह के नाम से कोई भी कृषि भूमि का हिस्सा दर्ज नहीं था पूर्व की जमाबंदी में सिर्फ में गुलाब सिंह, विजय सिंह का नाम केवल जमांबदी में दर्ज था। वर्तमान जमांबदी में गुलाब सिंह पुत्र श्री किशन सिंह के नाम सें हिस्सा 421/6072 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड सहवन सें दर्ज हो गया है। गुलाब सिंह के नाम सें पूर्व में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड व कब्जा काश्त में नहीं है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 02 एम.एस. आर के वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073–76 में के खाता संख्या 75/58 में को पूर्व में जमाबंदी रिकार्ड के अनुसार सही किये जानें की आदेश फरमायें जावे। प्रकरण में तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक : भू.अ./शुद्धि/2024/179 दिनांक : 24.01.2024 वर्तमान जमाबन्दी चक 2 एम.एस.आर. का पत्थर नं. 302/437 मुरब्बा नं. 11 खाता सं. 75 किलानं. 1/2 ता 25/2 का कुल 6.072 हैक्टेयर कमाण्ड मय खाला रकबा गुलाब सिंह पुत्र किशन सिंह हिस्सा 421/6072, विजय सिंह पुत्र किशनसिंह 211/3036, जाति राजपूत सा. अनूपगढ़, महावीर प्रसाद पुत्र सही राम हिस्सा 7/24, सतीश कुमार पुत्र सही राम वर्मा हिस्सा 211/3036, जाति छिम्पा सा. अनूपगढ़ सुदेश रानी पत्नी धर्मपाल हिस्सा 1/2 जाति अरोड़ा सा. अनूपगढ़ खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 में गुलाबसिंह, विजयसिह पि. किशनसिंह का हिस्सा दर्ज नहीं था। पर्चा खतौनी से सम्वत् 2069 से 2072 तक की जमाबन्दी में गुलाबसिंह, विजयसिह पि. किशनसिंह सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज था परन्तु हिस्सा दर्ज नहीं था। तथा शेष तीनों सहखातेदारों के हिस्से का योग खाते में दर्ज रकबे के बराबर था। प्रार्थना पत्र के संलग्न बैयनामा क्रमांक 94 दिनांक 18.03.1983 के अनुसार गुलाबसिंह, विजयसिह पि. किशनसिंह ने किला नं. 11 ता 13, 19 ता 22 कुल 7 बीघा रकबा का बैयनामा महावीर प्रसाद पुत्र सहीराम के नाम होने से उनके नाम कुल 1.771 हैक्टेयर रकबा का अंकन किया है जबकि जमाबन्दी अनुसार इन किलो का रकबा किला नं. 21 व 22 का 18–18 बिस्वा होने के कारण 1.746	

हैक्टेयर बनता है। इसी प्रकार बैयनामा क्रमांक 96 दिनांक 18.06.1983 के अनुसार गुलाबसिंह, विजयसिह पि. किशनसिंह द्वारा इसी खाते में से किलानं. 16, 17, 18, 23, 24 का कुल 5 बीधा रकबा बैयनामा सतीशकुमार पुत्र सहीराम के नाम से होने पर सतीशकुमार के नाम से 1.265 हैक्टेयर रकबा का अंकन हुआ जबकि जमाबन्दी अनुसार किलानं. 23 व 24 का 18–18 बिस्वा होने के कारण 1.215 हैक्टेयर रकबा बनता है। इस प्रकार जमाबन्दी में अंकित किला नं. 25 का 0.100 हक्टेयर रकबा का बैयनामा नहीं होने के कारण गुलाबसिंह, विजयसिह पि. किशनसिंह के नाम से 0.100 हैक्टेयर रकबा दर्ज किया जाना उचित होता है। इस प्रकार जमाबन्दी में पत्थर नम्बर 302/437 मुरब्बा नं. 11 खाता सं. 75 में दर्ज कुल 6.072 हैक्टेयर रकबा का निम्न हिस्सानुसार शुद्धि की जाती है तो रकबा का सही मिलान हो जाता है।

गुलाबसिंह पुत्र किशनसिह हिस्सा 50/6072, विजयसिंह पुत्र किशनसिह हिस्सा 50/6072, जाति राजपूत सा. अनूपगढ़, महावीरप्रसाद पुत्र सहीराम 1721/6072, सतीश कुमार पुत्र सहीराम हिस्सा 1215/6072, सुदेश रानी पत्नी धर्मपाल हिस्सा 1/2 हिस्सा किया जाना है। अतः जमाबन्दी में हिस्सा की दुरूस्ती किये जाने का क्षेत्राधिकारी श्रीमानजी का होने से पत्रावली मय हल्का पटवारी रिपोर्ट के आगामी कार्यवाही हेत सादर प्रेषित है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का की अनुशंष के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड चक 2 एम.एस.आर. का पत्थर नं. 302/437 मुरब्बा नं. 11 खाता सं. 75 में दर्ज कुल 6.072 हैक्टेयर रकबा का निम्न हिस्सानुसार

1. गुलाबसिंह पुत्र किशनसिह हिस्सा 50/6072, जाति राजपूत सा. अनूपगढ़,।
2. विजयसिंह पुत्र किशनसिह हिस्सा 50/6072, जाति राजपूत सा. अनूपगढ़,।
3. महावीर प्रसाद पुत्र सहीराम 1721/6072, जाति छिम्पा सा. अनूपगढ़।
4. सतीश कुमार पुत्र सहीराम हिस्सा 1215/6072, जाति छिम्पा सा. अनूपगढ़।
5. सुदेश रानी पत्नी धर्मपाल हिस्सा 1/2 हिस्सा जाति अरोड़ा सा. अनूपगढ़।

दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित्रा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़